सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 17.05.2025

अपराध नियंत्रण की दिशा मे कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा चोरी की योजना बना रहे 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 01 अवैध छुरी की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के कुशल नेतृत्व में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 16/17.05.2025 की रात्रि को थाना जसवंतनगर पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत सरकारी बस स्टैण्ड के पास भ्रमणशील थी। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बना रहे 02 व्यक्तियों को बस स्टैण्ड सरकारी टिकट घर के पास पेडो के नीचे से समय 1:30 बजे रात्रि मे पकड़ लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो अभियुक्तगण सुदामा पुत्र प्रमोद वाल्मीक तथा शिवा पुत्र राजवीर के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 छुरी बरामद हुयी जिनके संबंध मे प्रपत्र मांगे जाने पर दिखाने मे असमर्थ रहें। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगो के पास खर्च के लिए पैसे नही बचे है, इसलिये आज हम दोनो सैफई मोड पर दुकान की चोरी की योजना बना रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सुदामा पुत्र प्रमोद वाल्मीक निवासी मौहल्ला वाल्मीक बस्ती गुलाब बाडी कस्बा व थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा **उम्र करीब 20 वर्ष।**
2. शिवा पुत्र राजवीर निवासी सिसहाट थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा **उम्र करीब 25 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 160/2025 धारा 313 बीएनएस, 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 तमन्चा 315 बोर।
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. 01 अवैध छुरी।

पुलिस टीम- निरी0 श्री रामसहाय सिंह प्रभारी थाना जसवंतनगर, उ0नि0 ललित किशोर चतुर्वेदी, हे0का0 सतीश चन्द्र, हे0का0 उमेश कुमार व का0 अनमोल कुमार।